विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 08 मार्च, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पचहत्तरवीं (75वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 8 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 75.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (5 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) ग्राम कोडूर एवं सेट्टीपल्ली, चिलामतूर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 फरवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 फरवरी, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) मंजरी बुद्रुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 मार्च, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 मार्च, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) कांडला एवं टूना क्षेत्र में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 मई, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) ब्रुक फील्ड, कुंडलहल्ली गांव, होबली कृष्णराजपुरम गांव, तालुक बंगलौर, दक्षिण, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 मार्च, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रुक बांड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(v) प्लाट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 सितंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 सितंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंज़ूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 28 फरवरी 2017 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इकरियॉन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो नोएडा, उत्तर प्रदेश में एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) 28 फरवरी, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iii) 13 फरवरी, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एपीपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iv) 05 फरवरी, 2017 के **बाद अनुमति पत्र** (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मैकसन कलर केम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) 05 फरवरी, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एस्ट्रा स्पेशलिटी कम्पाउंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 फरवरी, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 8 जनवरी 2017 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एटर्निटी इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, **पुणे, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 10 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई (एमआईडीसी द्वारा 10 सितंबर, 2017 तक अर्थदंड मुक्त विस्तार प्रदान किया गया है)।

(vii) 28 जून 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो मटोडा, तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फर्मास्युटिकल एवं जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 जून, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) **द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सैकन इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 17463 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सैकन इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) ब्लॉक 9, कक्कानाड गांव, कनायानूर तालुक, जिला एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) **इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पीक एयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन एससीके 01 में सभी मौजूदा यूनिटों तथा मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड आ रही नई यूनिटों के लिए निरंतर इंटरनेट सेवा,

लाइव टेलीकास्ट, निगरानी, वीओआईपी सेवा, आईपीटीवी, प्रणली एकीकरण और वीपीएन सेवा, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम उत्पाद, इलेक्ट्रानिक उत्पाद एवं असेसरीज के लिए मैसर्स पीक एयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.4 : नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (5 प्रस्ताव)

(i) सर्वे नंबर 2/1 एवं 2/2, वेंकटाला गांव, येलाहंका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 2.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स माडर्न असेट, बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 2/1, एवं 2/2, ग्राम वेंकटाला, येलहंका होबली, बेंगलुरु, कर्नाटक में 2.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) सर्वे नंबर 2/2, वेंकटाला गांव, येलाहंका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 3.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स माडर्न असेट (फेज 2), बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 2/2, ग्राम वेंकटाला, येलहंका होबली, बेंगलुरु, कर्नाटक में 3.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(iii) काडुबीसनहल्ली गांव, वर्थूर होबली, आउटर रिंग रोड, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 5.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ऑरैकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम काडुबीसनहल्ली, वर्थुर होबली, आउटर रिंग रोड, बंगलौर पूर्व तालुक,बंगलौर, कर्नाटक में 5.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(iv) एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक में 2.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्याटारायनपुरा, जीकेवीके के आगे, बेंगलुरु, कर्नाटक में 2.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(v) एलएंडटी पार्क एसईजेड, प्लाट नंबर 2, एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक में 4.95 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलएंडटी पार्क एसईजेड, प्लॉट नंबर 2, एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्याटारायनपुरा, जीकेवीके के आगे, बेंगलुरु, कर्नाटक में 4.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (8 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान

एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

(i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विलय / समामेलन के आदेश के अनुसरण में मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड से मैसर्स डीएलएफ होम डवलपर्स लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड जो 1/124, शिवाजी गार्डेन, मूनलाइट स्टॉप, नादंपक्कम डाकघर, रामापुरम, माउंट पूनामाले रोड, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड से मैसर्स डीएलएफ होम डवलपर्स लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ii) प्रमोटर तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स सहदेव इंटरनेशनल जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रमोटर तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iii) 5 यूनिटों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार के तहत मैसर्स सैपियंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विभिन्न एसईजेड में **5** यूनिटों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iv) प्रोपराइटर की मृत्यु के कारण प्रोपराइटरशिप में परिवर्तन के लिए मैसर्स एचआर जेम्स जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में सीतापुरा, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रोपराइटरशिप में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) कंपनी के नाम तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स हुरोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में ग्राम डूंडाहेरा, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रोपराइटरशिप में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vi) साझेदारी विलेख तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डिवाइन डायमंड जो केएएसईजेड के क्षेत्राधिकार में सूरत एसईजेड में प्लाट नंबर 255 पर यूनिट नंबर 145 है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vii) मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम में परिवर्तन तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(viii) मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (निवेशक) को 50 प्रतिशत शेयर की बिक्री तथा विकासक संस्था के निदेशक मंडल में परिवर्तन के लिए सर्वे नंबर 83/1, रायदुर्गम, माधापुर, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स दिविजा कामर्सियल प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आरएमजेड इनफोटेक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (निवेशक) को 50 प्रतिशत शेयर की बिक्री तथा विकासक संस्था के निदेशक मंडल में परिवर्तन के के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 75.6 : विविध मामले (2 प्रस्ताव)

(i) सैंडलवुड, सैंडल वुड ऑयल के आयात तथा सैंडल वुड चिप्स (50 ग्राम तक), सैंडल वुड पाउडर, सैंडलवुड ऑयल, सैंडल वुड हैंडीक्राफ्ट तथा सैंडल वुड ऑयल पर आधारित उपोत्पास के निर्यात के लिए मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस जो मुरादाबाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि डीजीएफटी ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2017 के माध्सम से निर्यात नीति को स्पष्ट किया है, सैंडल वुड के आयात पर मात्रात्मक सीलिंग लागू है और इसके लिए लाइसेंस डीजीएफटी द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया। विकास आयुक्त, एनएसईजेड तथा डीजीईपी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड तथा डीजीईपी के साथ डीजीएफटी बैठक करेगा और इस मामले में रिपोर्ट प्रदान करेगा। इस बीच, सभी विकास आयुक्त 27 मार्च, 2017 तक वाणिज्य विभाग / डीजीएफटी को सैंडल वुड की यूनिटों का ब्यौरा प्रदान करेंगे।

(ii) आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो सर्वे नंबर 39, पुराना टीबी अस्पताल क्षेत्र, विशाखापट्टनम में एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि केवल नई अवसंरचना पर प्रत्यक्ष कर लाभ प्राप्त किए जाएंगे।

मद संख्या 75.7 : औपचारिक अनुमोदनों का निरसन (8 प्रस्ताव)

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के निम्नलिखित 8 मामलों की जांच की तथा उनके औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्रम संख्या सं.	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1.	मैसर्स किनफोटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (गांजीमट्ठ, मंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	30 जुलाई 2007	सीएसईजेड
2.	मैसर्स कोंकोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (काडुगोंडी इंडस्ट्रियल एरिया, बितराहल्ली होबली, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	30 अक्टूबर, 2008	सीएसईजेड
3.	मैसर्स चैतन्य इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ह्वाइटफील्ड मेन रोड, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	26 अक्टूबर 2006	सीएसईजेड
4.	मैसर्स बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल एयरपोर्ट, देवानहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	29 सितंबर, 2008	सीएसईजेड
5.	मैसर्स हीरा रियालकॉन प्राइवेट लिमिटेड (गांव तिरुपलाया, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	30 जून 2008	सीएसईजेड
6.	मैसर्स सलारपुरिया प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (सोनेनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	19 जून, 2007	सीएसईजेड

7.	मैसर्स गोकलदास इमेजेज इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (हीरे अमनिकेरी एवं अक्कूपेट गांव, बंगलौर रूरल जिला, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	21 जुलाई 2008	सीएसईजेड
8.	मैसर्स सन इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (ह्वाइटफील्ड रोड, बंगलौर, कर्नाटक)	आईटी / आईटीईएस	21 अगस्त, 2006	सीएसईजेड

यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 75.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (4 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2016 के विरुद्ध मैसर्स प्रसार एंटरप्राइजेज जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला एफडीआर अधिनियम 1995 के तहत अपील के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड इस मामले पर विचार करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एमईपीजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 दिसंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स वीवी मिनरल जो (एएमआरएल एसईजेड) एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स वीवी मिनरल्स के प्रतिनिधि की प्रस्तुति को विस्तार से सुना और विचार विमर्श के बाद नियमानुसार नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस विकास आयुक्त, एमईपीजेड के पास भेज दिया।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि उपर्युक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने तक फर्म के किसी लेनदेन को अनुमत नहीं किया जाएगा।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 1 दिसंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस संबंध में की गई अपील का समर्थन किया तथा पत्र दिनांक 1 अगस्त 2016 के माध्यम से मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के अनुरोध के अनुसार सोलर पीवी सेल एवं माड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यूनिट ने लंबित फोरेक्स की वसूली में कोई चूक नहीं की है तथा यूनिट को यथाशीघ्र लंबित फोरेक्स की वसूली को क्लियर करना चाहिए जिसकी विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा निगरानी की जाएगी।

(iv) यूनिट अनुमोदन समिति, एमईपीजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2017 के विरुद्ध मैसर्स जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

यह अपील 12 जनवरी 2017 को आयोजित बैठक में एमईपीजेड की अनुमोदन समिति के आदेश के विरुद्ध है जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए मैसर्स जोहो कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि ये सेवाएं यूनिट के अधिकृत प्रचालनों के दायरे में नहीं आती हैं :

(i) प्रायोजक सेवाएं
(ii) विज्ञापन के लिए टाइम या स्पेस स्लॉट की बिक्री
(iii) माल / सेवा / समारोह सेवा के ब्रांड का संवर्धन या विपणन
(iv) समारोह प्रबंधन सेवाएं
(v) टूर आपरेटर सर्विसेज

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के प्रतिनिधियों की बात सुनी।

अपीलकर्ता ने बताया कि वे उत्पाद कंपनी हैं तथा उन्होंने विभिन्न विपणन समारोहों, ट्रेड शो में भाग लेकर तथा संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों में भी शामिल होकर अपने ब्रांड का निर्माण करने की योजना बनाई है। पूरे विश्व में ऐसी गतिविधियों की पहुंच बहुत व्यापक है जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होगी। वे मुख्य रूप से एसईजेड यूनिट के रूप में प्रचालन करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपर्युक्त सेवाएं उनके निर्यात में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं तथा उनके अधिकृत प्रचालनों अर्थात आईटी / आईटीईएस के लिए अपेक्षित हैं (वे साफ्टवेयर के विकास का कार्य करते हैं तथा उत्पाद आधारित कंपनी होने के कारण ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना तथा तद्नुसार उनको पूरा करना उनके लिए आवश्यक है)। इसलिए फार्म जे में उनकी अपील दिनांक 4 फरवरी 2017 में उल्लिखित कारणों के आधार पर उपर्युक्त सेवाओं की आवश्यकता है।

डीजीईपी ने प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की तथा बताया कि यूनिट के अधिकृत प्रचालनों अर्थात साफ्टवेयर के विकास के लिए इन अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रस्तावित सेवाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से एसईजेड क्षेत्र द्वारा ही नहीं किया जा सकता है, अपितु डीटीए में भी उपयोग किया जा सकता है तथा मैसर्स जोहो कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रचालनों के रूप में उपर्युक्त गतिविधियों को अनुमत करने से अन्य विकासकों / यूनिटों से इसी प्रकार की मांग उत्पन्न होगी।

अपीलकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी केवल एसईजेड में स्थित है तथा भारत में उसकी कोई दूसरी यूनिट नहीं है। इसलिए डीटीए में सेवाओं के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

सभी संबंधित को सुनने के बाद नोट किया गया कि यह एसईजेड में एक मात्र यूनिट है और इसका अधिकृत प्रचालन साफ्टवेयर का विकास (आईटी / आईटीईएस) है और इसलिए महसूस किया गया कि उसके उत्पादों के विपणन तथा निर्यात में वृद्धि के लिए इन सेवाओं की आवश्यकता है। इसलिए विचार विमर्श के बाद केवल एसईजेड में यूनिट द्वारा अपने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित उपर्युक्त सेवाओं की वृद्धि के लिए अपीलकर्ता को अनुमति प्रदान की गई।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 75.9 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 मार्च, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 मार्च, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.10 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंज़ूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 22 अप्रैल, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 27 दिसंबर 2016 के बाद मंज़ूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सारनामॉय प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 दिसंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 75.11 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा नंगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्वच्छ पर्यावरण प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड के अंदर पानी के इंटेक, आपूर्ति एवं वितरण, पानी की आपूर्ति एवं वितरण, पानी के शोधन, रिसाइकलिंग, सेटअप सहित जल प्रबंध एवं अपशिष्ट जल प्रबंध, निस्सारी शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध के प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा जल वितरण के संबंध में अन्य आनुषंगिक सहायता प्रदान करने के लिए मैसर्स स्वच्छ पर्यावरण प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) बड़ापलांजी, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेनसिस साफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 8.09371 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एसईजेड के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण में सहायता प्रदान के लिए मैसर्स चेनसिस साफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, बलोला एवं बंधवारी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ऐड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 9.626 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंतरिक एवं बाहरी अवसंरचना सुविधाओं एवं भवनों के विकास तथा ऐसे अन्य अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स ऐड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.12 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (7 प्रस्ताव)

(i) प्लाट नंबर 2, एमआईडीसी, फेज 1, हिंजेवाड़ी, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में 9.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 2, एमआईडीसी, फेज 1, हिंजेवाड़ी, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में 9.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) क्रमांक 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी), राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास हिंजेवाड़ी, फेज 1, पुणे, महाराष्ट्र में 3.4659 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्रमांक 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी), राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास हिंजेवाड़ी, फेज 1, पुणे, महाराष्ट्र में 3.4659 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) सर्वे नंबर 53/पैकी/पार्ट, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 53/3/पैकी/भाग, ग्राम गचिबाउली, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iv) सर्वे नंबर 285, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब तेलंगाना सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई है तथा विचार विमर्श के बाद सर्वे नंबर 285, ग्राम पुप्पालगुडा, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) सर्वे नंबर 286 और 287, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 3.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब तेलंगाना सरकार की सिफारिश प्राप्त हो गई है तथा विचार विमर्श के बाद सर्वे नंबर 286 और 287, ग्राम पुप्पालगुडा, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 3.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi) सर्वे नंबर 141 और 142, ननक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.16 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 141 और 142, ग्राम ननाक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vii) ओएमआर रोड, पेरुंगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु में 4.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पेरुंगुडी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ओएमआर रोड, पेरुंगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु में 4.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 75.13 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (7 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है**,** स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

(i) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सोलर एक्सपोर्ट, जो सूरत एसईजेड में यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा उद्यमी आयकर प्राधिकारियों की जांच के अधीन है और इसलिए विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

(ii) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स स्टेलर डायमंड जो सूरत एसईजेड में यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा उद्यमी आयकर प्राधिकारियों की जांच के अधीन है और इसलिए विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

(iii) मैसर्स असेंडास फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शेयर होल्डिंग की 100 प्रतिशत बिक्री / हस्तांतरण के लिए मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स असेंडास फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की बिक्री / अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो काडुबीसानाहल्ली गांव, वर्थूर होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ समामेलन और एफएसईजेड के क्षेत्राधिकार के अधीन मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम / संरचना में परिवर्तन के लिए मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेकनोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंज़ूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vi) मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 **प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा मैसर्स टिडको को शेष इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड** (एमआईडीपीएल) **जो**

कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि प्रस्ताव की जांच करने के लिए डीजीईपी को और समय की आवश्यकता थी।

(vii) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो पेरुंगलाथूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 75.14 : विविध मामले (3 प्रस्ताव)

(i) क्षेत्रफल में 0.92 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो सर्वे नंबर 65 (पी), ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित कर रहा है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 0.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर हो जाएगा।

(ii) क्षेत्रफल में 3.61 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर आईटी 5, एयरोली नॉलेज पार्क, एमआईडीसी-टीटीसी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में भूमि की सन्निकटता बनाए रखने की शर्त के अधीन 3.61 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.52 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) सैंडल वुड की अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि डीजीएफटी ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2017 के माध्सम से निर्यात नीति को स्पष्ट किया है, सैंडल वुड के आयात पर मात्रात्मक सीलिंग लागू है और इसके लिए डीजीएफटी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया। विकास आयुक्त एनएसईजेड तथा डीजीईपी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विकास आयुक्त एनएसईजेड, विकास आयुक्त एमईपीजेड तथा डीजीईपी के साथ डीजीएफटी बैठक करेगा और इस मामले में रिपोर्ट प्रदान करेगा।

मद संख्या 75.15 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स एनकेबी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह अपील 9 नवंबर 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक के निर्णय के विरुद्ध है जिसमें 27 अक्टूबर 2012 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड अपने निर्णय के विरुद्ध अपील पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, वीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी 2017 के विरुद्ध मैसर्स जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड जो मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में वीएसईजेड के क्षेत्राधिकार में जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के एसईजेड में प्लाट नंबर 1 **पर सह विकासक सह यूनिट है, की अपील**

अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया क्योंकि भूतलक्षी अवधि के लिए ए1 और ए2 फार्म जारी नहीं किए जा सकते हैं। अपीलकर्ता को सेवा कर में सक्षम प्राधिकारी से निदान प्राप्त करना चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि एसईजेड में विकासकों / यूनिटों द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के मामले में सेवा कर परित्याग की निगरानी एवं अनुरक्षण के लिए विकास आयुक्तों को अनुदेश जारी किए जाएं।

******